

21 से 23 जुलाई 2015 तक बी0सी0 निगम, प्रधान मुख्य वन संरक्षक की रांची एवं सिंहभूम प्रक्षेत्रों की भ्रमण टिप्पणी—

(क) रांची वन प्रमंडल—

रांची वन प्रमंडल के अंतर्गत टोनको जरा टोली पथ पर वर्ष 2014-15 के अग्रिम कार्य में वर्तमान वर्ष में वनरोपण कार्य का निरीक्षण किया । कुल 1300 पौधे लगाने का लक्ष्य बांस गैबियन में है । पौधों की स्थिति लगभग औसत पाई गई । औसतन पौधों की लंबाई 2 से 4 फीट के बीच में पायी गई । गैबियन पर नंबर एवं पट्टी लगाने का कार्य नहीं किया गया है ।

2. दस माईल से टोरियन स्कूल तक 2014-15 में अग्रिम कार्य एवं वर्तमान वर्ष में गैबियन रोपण का निरीक्षण किया गया । 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य है । पौधों की स्थिति अच्छी नहीं पाई गई । कई जगहों पर निदेश के विपरीत एक जाति के पौधे एक साथ नहीं लगाकर अलग-अलग जाति के पौधों को यदा-कदा बिना किसी योजना के लगाया हुआ पाया गया । वन प्रमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पौधारोपण कार्य एवं पौधों की लंबाई में वांछित सुधार करें ।

3. खूँटी वन प्रमंडल के अंतर्गत दारला पी0एफ0 का निरीक्षण किया गया । वनों की स्थिति अच्छी पाई गई । वन कर्मियों ने बताया कि ग्रामीण वन प्रबंधन समितियों से अच्छा संपर्क करके यह कार्य किया गया है ।

4. दरला के समीप पथ तट में पौधों की लंबाई कम पाई गई एवं कई स्थानों पर वृक्षारोपण संतोषजनक नहीं लगा । वन प्रमंडल पदाधिकारी इसमें वांछित सुधार लाएं ।

(ख) पोड़ाहाट वन प्रमंडल—

1. कारिका से बारीडीह वनरोपण — यह वनरोपण वनों से आच्छादित क्षेत्र में कराया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है ।

2. पोड़ाहाट वन प्रमंडल में वन सीमा स्तंभों का निरीक्षण किया गया । वन सीमा स्तंभों को हरे और लाल रंग से रंगा नहीं पाया गया । वन सीमा स्तंभों को हरे और लाल रंग से रंगना उचित होगा ।

3. वन सीमा स्तंभ गोल होने के कारण सीमा स्तंभ पर विभिन्न प्रकार की आवश्यक सूचनाएं engrave करने में कठिनाई है । अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास सीमा स्तंभ के डिजाइन पर अन्य अधिकारियों के साथ पुनर्विचार करें, जिससे कि सीमा स्तंभों पर आवश्यक सूचनाएं, जैसे— पी0एफ0/आर0एफ0 का नाम, पीलर संख्या, जी0आई0एस0 को-ऑर्डिनेट एवं पीलर नाम का वर्ष स्थायी तौर पर अंकित करना संभव हो सके ।

टेबो घाटी होते हुए चक्रधरपुर गए एवं वहां से चाईबासा गए ।

### (ग) चाईबासा वन प्रमंडल—

1. चाईबासा स्थित वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय के भवनों इत्यादि का निरीक्षण किया गया । कुछ भवनों में कार्य किया जा रहा है । निकट भविष्य में प्रशिक्षण हेतु आने वाले वनरक्षियों के प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है । इस संबंध में जल्द-से-जल्द उचित प्रस्ताव देने का निदेश संबंधित अधिकारियों को दिया गया ।

2. चाईबासा में नवनिर्मित रेंज बैरक का निरीक्षण किया गया । चाईबासा वन प्रमंडल अंतर्गत असुरा बालडीहा पथ एवं डोबरो साई से कुजु पुल पथ तट वनरोपण का निरीक्षण किया गया । वनरोपण में वांछित सुधार करने के लिए निदेश संबंधित अधिकारियों को दिए गए ।

3. चाईबासा वन प्रमंडल के अंतर्गत नोवामुंडी क्षेत्र में बड़ानंदा स्थित गैर वन भूमि का भी निरीक्षण किया गया । वनरोपण की स्थिति सामान्य पाई गई ।

4. रास्ते में बिदरी वन विश्रामागार एवं नवनिर्मित वाच टावर का भी निरीक्षण किया गया । ।

5. बिदरी में ही एक स्थायी पौधशाला है, जिसका निरीक्षण किया गया । इस पौधशाला की स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता है ।

6. बड़ा जामदा एवं सैडल होकर किरीबुरु रास्ते में अवस्थित वनों की स्थिति सामान्य पाई गई ।

7. चाईबासा में एक्स0एल0आर0आई0 के प्रतिनिधियों से वार्ता की तथा वन विभाग के कार्यों में अधिक तत्परता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से अग्रतर कार्रवाई के संबंध में अधिकारियों से विमर्श हुआ ।

### (घ) सारंडा वन प्रमंडल—

सारंडा वन प्रमंडल में जलच्छाजन योजना के अंतर्गत इंद्री प्वाइंट एक्टिविटी में हिरजी-हाटिंग ग्राम में ग्रामीणों द्वारा पत्तल बनाए जाने की मशीन का उपयोग कर जीविकोपार्जन किया जा रहा है । इस कार्य में ग्रामीण अत्यधिक खुश थे । वन विभाग को भी अपने स्तर से ग्रामीणों के साथ सामंजस्य बढ़ाने के उद्देश्य से जीविकोपार्जन बढ़ाने की योजनाएं लानी चाहिए ।

### (ङ) मंतव्य—

उपरोक्त भ्रमण के अनुभवों के आधार पर विभागीय अधिकारियों को निम्न निदेश दिए जाते हैं, जिनका पालन करने की अपेक्षा बाकी सभी अधिकारियों से भी है :—

1. शहरी पथ तट रोपण योजना अंतर्गत स्थलों का चयन बहुत ही समझ-बुझकर एवं सजगता से करने की आवश्यकता है । किसी भी स्थान पर वृक्षों के नीचे वृक्ष नहीं लगाए जाएं ।

2. वनों से आच्छादित क्षेत्र में, जहां सड़क के किनारे पर्याप्त वन हैं, ऐसे स्थानों पर सड़क के किनारे वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव उचित नहीं है ।

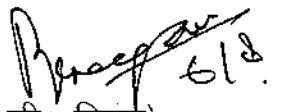
3. राज्य के सभी महत्वपूर्ण शहरों में शहरी वानिकी के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाए, जो 5 या 10 वर्षों का हो, जिसके अंतर्गत सरकार के संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही वृक्षारोपण किया जाए ।

4. सड़क किनारे वृक्षारोपण, जहां कई कतारों में संभव हो, वहीं करना उचित होगा, जिससे राशि की बचत भी होगी एवं कारगर वृक्षारोपण भी संभव हो सकेगा ।

5. जहां भी गैबियन वृक्षारोपण किए गए हैं, उनमें नियमानुसार नाम पट्टी लगाकर गैबियन की संख्या भी लिखी जाए ।

6. कुछ स्थानों पर निदेश के बावजूद पौधे 4 फीट से कम के पाए गए । इसमें सुधार की आवश्यकता है । शहरी वनरोपण में कम-से-कम 4 फीट या उससे अधिक लंबाई के तंदुरुस्त पौधे ही लगाए जाएं ।

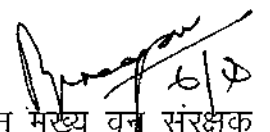
7. चाईबासा वन प्रमंडल में बड़ानंदा में गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण पाया गया, ऐसे क्षेत्र में किस प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । सामान्य रूप से वन क्षेत्रों के अंदर यूकोलिप्टस एवं अकेसिया के पौधे नहीं लगाए जाएं । वन क्षेत्रों में वहां पाई जाने वाली प्रजातियों को ही लगाना अधिक व्यवहारिक होगा ।

  
(बी०सी० निगम)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखंड रांची।

ज्ञापांक- 11E 19(A) 86/2015- 2590

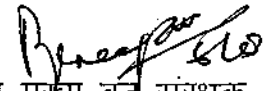
रांची, दि०-06-8-15

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी-सह-वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखंड, रांची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, रांची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, झारखंड/सभी मुख्य वन संरक्षक, झारखंड/सभी वन संरक्षक, झारखंड/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक

ज्ञापांक- 11 E 19(A) 36/2015 - 2590 रांची, दि०-06.8.15

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक

ज्ञापांक- 11 E 19(A) 36/2015 - 2590 रांची, दि०-06.8.15

प्रतिलिपि : इन्विस सेंटर, रांची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक